

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023- पौष 8, शक 1945

भाग 3 (1)

विज्ञापन अन्य सूचनाएं नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं श्रीमती राधा कैथवास पुत्री श्री सीताराम कैथवास पत्नी श्री जयकुमार बौरासी निवासी- मकान नं.-15/01 सूरज नगर बंगाली चौराहे के पास इन्दौर म.प्र. की हूँ, मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण पत्र में ऋषभ बौरासी (कैथवास) Rishabh Bourasi (Kaithwas), पिता जयकुमार बौरासी की सभी शैक्षणिक रिकार्ड, आधार कार्ड में अंकित है, तथा भविष्य में मेरे पुत्र को ऋषभ कैथवास Rishabh Kaithwas के नाम से जाना पहचाना लिखा एवं संबोधित किया जाए.

(G-2476)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुछ दस्तावेज में गौरव बेलिया पिता श्री लालचन्द बेलिया (Gaurav Beliya S/o Shri Lalchand Beliya), अंकित है जो त्रुटिवश गोत्र अनुसार अंकित हो गया था जबकि मेरा सही नाम गौरव सिंह तोमर पिता श्री लालचन्द सिंह तोमर (Gaurav Singh Tomar S/o Lalchand Singh Tomar) है, उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे हैं. भविष्य में मुझे मेरे सही नाम गौरव सिंह तोमर पिता श्री लालचन्द सिंह तोमर (Gaurav Singh Tomar S/o Lalchand Singh Tomar) के नाम से जाना पहचाना व लिखा पढ़ा जावे सो विदित हो.

पुराना नाम
(गौरव बेलिया)

(G-2477)

भवदीय
संरक्षक- श्रीमती राधा कैथवास
पति जय कुमार बौरासी

नया नाम
(गौरव सिंह तोमर)
निवासी- 284/2 राजाराम नगर इंदौर म.प्र.

आम सूचना

फर्म मेसर्स गार्गी ग्रुप, 5 सिविल लाईन, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) 470002 जो कि कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी में रजिस्ट्रेशन क्रमांक 06-09-01-00155-13 वर्ष 2012-13 फर्म में रजिस्टर्ड है तथा दिनांक 11-02-2013 को फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति की गई है, जिसमें निम्नलिखित पार्टनर हैं:- (1) सुहागरानी यादव पति स्व. दीनदयाल यादव (2) मुकेश यादव पिता स्व. दीनदयाल यादव (3) दिनेश यादव पिता स्व. दीनदयाल यादव (4) रानेश पिता सुरेश कुमार ओमरे (5) राघवेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह चौहान (6) श्यामजी सैनी पिता पी.डी. सैनी (7) भूपेन्द्र पुत्र रघुवीर सिंह राजपूत (8) शैलेन्द्र पुत्र नरेन्द्र कुमार पाठक (9) सुरेन्द्र पुत्र इंद्र सिंह राजपूत. उपरोक्त इस पंजीयन फर्म के पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ने पर इस फर्म की रचना में परिवर्तन कर पुनः पुनर्गठित करने की प्रक्रियात्मक कार्यवाही चल रही है, इस पुनर्गठन के अंतर्गत उपरोक्त सात (9) भागीदारों में से निम्न सात (7) भागीदार दिनांक 27-11-2023 से रिटायर एवं अलग हो रहे हैं. (1) सुहागरानी यादव पति स्व. दीनदयाल यादव (4) रानेश पिता सुरेश कुमार ओमरे, (5) राघवेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह चौहान, (6) श्यामजी पिता पी.डी. सैनी, (7) भूपेन्द्र पिता रघुवीर सिंह राजपूत, (8) शैलेन्द्र पिता नरेन्द्र कुमार पाठक, (9) सुरेन्द्र पिता इंद्र सिंह राजपूत, उपरोक्त सातों भागीदार स्वेच्छा तथा सर्व सम्मति से फर्म से रिटायर एवं अलग हो रहे हैं, तथा भागीदारी फर्म में पूर्व ही की तरह यह दो (2) भागीदार यथावत् बने एवं जारी रहेंगे. (2) मुकेश यादव पिता स्व. दीनदयाल यादव व (3) दिनेश यादव पिता स्व. दीनदयाल यादव, फर्म में पूर्व की तरह यथावत् पार्टनर बने एवं जारी रहेंगे.

मेसर्स गार्गी ग्रुप

(मुकेश यादव)

भागीदार

05, सिविल लाइन, सागर (म.प्र.)

(G-2478)

आम सूचना

फर्म मेसर्स श्री ग्रुप, 5 सिविल लाईन, तहसील व जिला सागर (म.प्र.) 470002 जो कि कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार, फर्म एवं सोसायटी में रजिस्ट्रेशन क्रमांक 06-09-01-00156-13 वर्ष 2012-13 फर्म में रजिस्टर्ड है तथा दिनांक 11-02-2013 को फर्म की रजिस्ट्री की अभिस्वीकृति की गई है, जिसमें निम्नलिखित पार्टनर हैं:- (1) अवधनारायण यादव पिता कमल सिंह यादव (2) रानेश पिता सुरेश कुमार ओमरे (3) राघवेन्द्र पिता राजेन्द्र सिंह चौहान (4) श्याम जी सैनी पिता पी.डी. सैनी (5) भूपेन्द्र पिता रघुवीर सिंह राजपूत (6) शैलेन्द्र पुत्र नरेन्द्र कुमार पाठक (7) सुरेन्द्र पुत्र इंद्र सिंह राजपूत उपरोक्त पंजीयन फर्म की रचना में परिवर्तन कर पुनः पुनर्गठित करने की प्रक्रियात्मक कार्यवाही चल रही है, पुनर्गठन के अंतर्गत उपरोक्त सात (7) भागीदारों में से निम्न पांच (5) भागीदार दिनांक 28-11-2023 से रिटायर एवं अलग हो रहे हैं.

(3) राघवेन्द्र चौहान पिता राजेन्द्र सिंह चौहान,

(4) श्यामजी सैनी पिता पी.डी. सैनी,

(5) भूपेन्द्र राजपूत पिता रघुवीर सिंह राजपूत

(6) शैलेन्द्र पाठक पिता नरेन्द्र कुमार पाठक

(7) सुरेन्द्र राजपूत पिता इंद्रसिंह राजपूत

उपरोक्त पांचों भागीदार स्वेच्छा तथा सर्वसम्मति से फर्म से रिटायर एवं अलग हो रहे हैं, तथा भागीदारी फर्म में पूर्व ही की तरह यह दो (2) भागीदार यथावत् बने एवं जारी रहेंगे (1) अवधनारायण यादव पिता कमल सिंह यादव (2) रानेश ओमरे पिता सुरेश कुमार ओमरे

मेसर्स श्री ग्रुप

(रानेश ओमरे)

भागीदार

05, सिविल लाइन, सागर (म.प्र.)

(G-2479)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, चिराग कोठारी (Chirag Kothari) आत्मज श्री नरेन्द्र कुमार कोठारी निवासी :- बी-304, रोजवूड इंकलेव होशंगाबाद रोड, भोपाल म.प्र. हम अपने पुत्र का नाम मिहिर कोठारी (Mihir Kothari) लिखते थे किंतु अब हमने अपने उक्त पुत्र का नाम परिवर्तित/संशोधित कर मोहित कोठारी (Mohit Kothari) पुत्र श्री चिराग कोठारी (Chirag Kothari) कर लिया है. अब हमारा पुत्र इसी नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है. इस विज्ञप्ति उपरांत हमारे पुत्र को उसके परिवर्तित नाम मोहित कोठारी (Mohit Kothari) पुत्र श्री चिराग कोठारी (Chirag Kothari) के नाम से ही जाना पहचाना एवं पुकारा जाए.

आवेदक

पिता-चिराग कोठारी
(Chirag Kothari)

(G-2480)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं सविता सेन पति भिकम सेन, निवासी वॉर्ड नं. 16, सतलापुर, तेह. गौहरगंज, मंडीदीप, रायसेन म0प्र0, मेरा नाम पहचान पत्र व बैंक पास बुक के अनुसार सविता सेन है जो कि सही हैं जबकि आधार कार्ड में त्रुटिवश कल्पना सेन अंकित है इसलिए आधार कार्ड में नाम परिवर्तित कर सविता सेन दर्ज किया जावे जो कि मेरे पहचान पत्र व बैंक पास बुक अन्य दस्तावेजों के अनुसार सही हैं.

आवेदक

(सविता सेन)

(G-2481)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम ABHIMANYU VERMA S/O LALIT RAJ VERMA है. यही नाम मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, शैक्षणिक दस्तावेज आदि में दर्ज है. मैं अपना उपनाम VERMA के स्थान पर SINGH रख रहा हूं. अतः भविष्य में मुझे ABHIMANYU VERMA के स्थान पर ABHIMANYU SINGH से ही जाना पहचाना, पढ़ा-लिखा व उपयोग किया जावे.

पुराना नाम

(ABHIMANYU VERMA)

नया नाम

(ABHIMANYU SINGH)

S/O LALIT RAJ VERMA

निवासी - बी-43 अम्बेडकर कॉलोनी

ओल्ड सुभाषनगर, हुजूर भोपाल (म.प्र.).

(G-2482)

CHANGE OF SURNAME

I Suman Chordia Declare that in old documents my name was printed as Suman Kanver/Suman Kavar/Suman kanwar. I Hearby declare that I have Changed my name to Suman chordia W/o Dharam Chand Chordia. So from now and future I will be known by my new name Suman Chordia.

OLD NAME

(SUMAN KANVAR)

NEW NAME

(SUMAN CHORDIA)

Address - Behind Best Price,

15 B.C.M. Vista Nipaniya,

Indore (M.P.).

(G-2483)

नाम परिवर्तन

मैं, चंद्रवती पत्नि श्री कमलेश प्रसाद आयु-वयस्क, निवासी-19/ख, खिरिया, ग्राम-खिरिया, बम्होरी भुआरी, उदयपुरा, रायसेन, म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम सभी शासकीय एवं अशासकीय दस्तावेजों में चंद्रवती एवं कई दस्तावेजों में चंद्रकला दर्ज है तथा समस्त शासकीय/अशासकीय एवं आधारण कार्ड में मेरा नाम चंद्रवती है, एवं चंद्रकला और चंद्रवती एक ही महिला का नाम है, भविष्य में मुझे चंद्रकला के नाम से ही जाना पहचाना जाएगा।

पुराना नाम
(चंद्रवती)

नया नाम
(चंद्रकला पत्नि श्री कमलेश प्रसाद)

(G-2484)

आम सूचना

मैसर्स श्री जौरासी सरकार स्टोन क्रेशर, म.न. 21 आर्य नगर बारादरी चौराहा मुरार ग्वालियर जिला ग्वालियर म.प्र. पंजीयन क्र. 0116/16 दिनांक 30-12-2016 में, संशोधित डीड दि 19-04-2019 अनुसार भागीदार क्रमांक (1) श्री विशम्भर दयाल गोयल पुत्र श्री मदनलाल गोयल एवं (2) श्री अवधेश कुमार मंगल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मंगल फर्म में स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं एवं इसी डीड अनुसार फर्म का कार्यालय स्थान प्लेट नं. 303 मिलेनियम प्लाजा गोविन्दपुरी ग्वालियर के स्थान पर म.नं. 21 आर्य नगर बारादरी चौराहा मुरार ग्वालियर में किया जा रहा है। नवीन संशोधित डीड दिनांक 12-11-2019 के अनुसार फर्म के पार्टनर (1) श्री नीरज तोमर पुत्री श्री तुरसन पाल सिंह एवं (2) श्रीमती ममता सिंह पत्नी श्री मनोज सिंह फर्म से स्वेच्छा से हट रहे हैं अतः आज दिनांक 12-11-2019 से पार्टनर (1) श्री विशम्भर दयाल गोयल पुत्र श्री मदन लाल गोयल, एवं (2) श्री अवधेश कुमार मंगल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मंगल द्वारा फर्म का संचालन किया जायेगा। अतः कुल दो भागीदार रहेंगे।

अवधेश कुमार मंगल

पार्टनर

**M/S SHREE JOURASHI SARKAR STONE CRUSHER
GWALIOR**

(G-2485)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम मनोहर लाल तुरखिया (जैन) पिता वनमाली दास तुरखिया **MANOHAR LAL TURAKHIYA (JAIN) S/O SHRI VANMALI DAS TURAKHIYA** तथा कहीं कहीं पर मनोहर तुरखिया (जैन) पिता बनमाली तुरखिया **MANOHAR TURAKHIA S/O SHRI VANMALI DAS TURAKHIYA** अंकित है तथा कुछ कागजों पर मनहर तुरखिया पिता वनमाली दास तुरखिया **MANHAR TURAKHIYA S/O SHRI VANMALI DAS TURAKHIYA** जो त्रुटिवश सब जगह अलग-अलग अंकित हो गया था जो मेरे ही नाम हैं। परन्तु भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मनहर तुरखिया पिता वनमाली दास तुरखिया **MANHAR TURAKHIA S/O VANMALI DAS TURAKHIA** से जाना पहचाना व लिखा पढ़ा जावे।

पुराना नाम

(मनोहर लाल तुरखिया(जैन))

नया नाम

(मनहर तुरखिया)

निवासी-14/1 प्लैट न 302 नई पलासिया
गली नं. 1 प्रिंसेस स्ववायर इन्दौर (म.प्र.)

(G-2486)

नाम परिवर्तन

मैं सुमन परमार SUMAN PARMAR पत्नी स्व. श्री गजराज सिंह परमार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरे सभी शासकीय/अर्धशासकीय/अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम सुमन परमार SUMAN PARMAR पत्नी स्व. श्री गजराज सिंह परमार है जो कि सही है परन्तु मेरे आधार कार्ड में त्रुटि में मेरा नाम शांता बाई SHANTABAI पत्नी स्व. श्री गजराज सिंह परमार

अंकित हो गया है जो की गलत है प्रकाशन उपरांत मुझे सुमन परमार SUMAN PARMAR पत्नी स्व. श्री गजराज सिंह परमार के नाम से ही जाना, पहचाना, लिखा, पढ़ा एवम् पुकारा जाए.

पुराना नाम
शांता बाई (Shanta Bai)
पत्नी स्व. श्री गजराज सिंह परमार
(G-2487)

नया नाम
सुमन परमार (Suman Parmar)
पत्नी स्व. श्री गजराज सिंह परमार
हाउस नं. 1204 वार्ड नं. 35 भीम नगर
हुजूर भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं नीरू जैन (NEERU JAIN) पत्नि शिवम जैन सर्वसाधारण को सूचित करती हूं कि मेरे पूर्व का नाम अभिलाषा जैन (ABHILASHA JAIN) पत्नि शिवा जैन था. जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड पासपोर्ट एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि भविष्य में मैंने अपना नाम नीरू जैन पत्नि शिवम जैन कर लिया है. वर्तमान एवं भविष्य में मैं नीरू जैन पत्नि शिवम जैन के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूं. अतः मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम अभिलाषा जैन पत्नि शिवा जैन के स्थान पर नीरू जैन पत्नि शिवम जैन लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
अभिलाषा जैन पत्नि शिवा जैन
(G-2488)

नया नाम
नीरू जैन पत्नि शिवम जैन
निवासी-263,7, पत्नीपुरा नंदा नगर
इंदौर म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं शिवम जैन (SHIVAM JAIN) पुत्र राजकुमार जैन सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पूर्व का नाम शिवा जैन (SHIVA JAIN) पुत्र राजकुमार जैन था. जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड पासपोर्ट एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि भविष्य में मैंने अपना नाम शिवम जैन कर लिया है. वर्तमान एवं भविष्य में मैं शिवम जैन के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं. अतः मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम शिवा जैन के स्थान पर शिवम जैन लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
शिवा जैन
(G-2489)

नया नाम
शिवम जैन पुत्र राजकुमार जैन
निवासी-263,7, पत्नीपुरा नंदा नगर
इंदौर. म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं शफी मोहम्मद (SAFI MOHAMMAD) पुत्र पीर खान सर्वसाधारण को सूचित करता हूं कि मेरे घर का पूर्व का नाम सूरजप्रकाश खान (SOORAJ PRAKASH KHAN) था. जो मेरे आधार कार्ड, वोटर कार्ड एवं शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं शफी मोहम्मद के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता हूं, जो मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम सूरज प्रकाश खान के स्थान पर शफी मोहम्मद लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
सूरज प्रकाश खान
(G-2490)

नया नाम
शफी मोहम्मद पुत्र पीर खान
निवासी-26, विलेज कुम्हेरी जौरा
मुरैना, म.प्र.

नाम परिवर्तन

मैं, प्रदीप कुमार (PRADEEP KUMAR) पुत्र रामवीर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का पूर्व का नाम दिलीप कुमार वर्मा (DILIP KUMAR VERMA) था. जो मेरे आधार कार्ड में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में मैं, प्रदीप कुमार के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ जो मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे आधार कार्ड, में मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा के स्थान पर प्रदीप कुमार लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजान सूचित हो.

पुराना नाम
(दिलीप कुमार वर्मा)

नया नाम
(प्रदीप कुमार पुत्र रामवीर)
निवासी-440, गोले का मंदिर भिण्ड रोड
(म.प्र.)

(G-2491)

नाम परिवर्तन

मैं, मोहम्मद असलम अख्तर (MOHAMMAD ASLAM AKHTAR) पुत्र जुमाद अली सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे घर का पूर्व का नाम एम.डी. असलम (MD ASLAM) था जो मेरे कम्पनी शेयर में लिखा गया है जबकि वर्तमान एवं भविष्य में, मैं, मोहम्मद असलम अख्तर के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधारकार्ड, पेनकार्ड, बैंक पासबुक एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरे कम्पनी शेयर में मेरा नाम एम.डी. असलम के स्थान पर मोहम्मद असलम अख्तर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(एम.डी. असलम)

नया नाम
(मोहम्मद असलम अख्तर)
पुत्र जुमाद अली
म. नं. 387, वार्ड नं. 18, मस्जिद चोक भगत
पाथाखेड़ा, बैतूल (म.प्र.).

(G-2492)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स फ्यूचर ग्रीन इंडिया जो ए-9 आई.टी. पार्क बड़वई, बायपास रोड भोपाल (मध्यप्रदेश) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0355-17 जो दिनांक 30-11-2017 को पंजीयन की गई है. जिसमें दिनांक 21-10-2023 को भागीदार मोहन कुमार माधवानी पुत्र स्व. श्री रामचंद्र माधवानी एवं श्रीमती भावना माधवानी पत्नी श्री मोहन कुमार माधवानी दोनों निवासी 26 निर्मल इन्क्लेव, बिट्टल नगर लालघाटी, भोपाल (मध्यप्रदेश) अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं इसी दिनांक 21-10-2023 को प्रदीप कुमार हरदासानी पुत्र श्री भगवान दास हरदासानी निवासी 21 शांति नगर कॉलोनी बैरसिया रोड भोपाल एवं श्री जीवेश सेवानी पुत्र श्री रतन सेवानी निवासी बीपी 07 लेकपर्ल गार्डन, एयरपोर्ट रोड भोपाल नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. सर्वजन आमजन सूचित हो.

(G-2493)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, जोगेंद्र कुमार वाधवा (JOGENDRA KUMAR WADHWA) पिता का नाम श्री डी.डी. वाधवा निवासी-35, पचपेढी लोहिया पुल के पास, साउथ सिविल लाईन्स, जबलपुर म.प्र. त्रुटिवश शेयर प्रमाण पत्रों में मेरा नाम (JUGENDRA KUMAR WADHWA) दर्ज किया गया है जो कि गलत है एवं जिसका सुधार किया जाना है. सही नाम जोगेंद्र कुमार वाधवा (JOGENDRA KUMAR WADHWA) उक्त सही नाम आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में दर्ज है.

(G-2494)

आवेदक
(JOGENDRA KUMAR WADHWA)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं नर्बदी मीणा पत्नि महेश मीणा (NARABADI MEENA W/O MAHESH MEENA), आयु 38 वर्ष, निवासी 221, शिवनगर, आनंदनगर, पिपलानी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म. प्र.) मेरे आधार कार्ड में त्रुटिवश मेरा नाम अनीता यादव अंकित हो गया था, जबकि मेरा वास्तविक नाम नर्बदी मीणा है, जो कि मैं अब भविष्य में अपने वास्तविक नाम नर्बदी मीणा पत्नि महेश मीणा (NARABADI MEENA W/O MAHESH MEENA) के नाम से जानी जाऊंगी, अब मेरा नाम भविष्य में सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में नर्बदी मीणा पत्नि महेश मीणा (NARABADI MEENA W/O MAHESH MEENA) लिखा एवं सम्बोधित किया जावेगा.

पुराना नाम (अनीता यादव) (Anita Yadav) पत्नि महेश	नया नाम (नर्बदी मीणा) पत्नि महेश मीणा (NARABADI MEENA W/O MAHESH MEENA)
---	--

(G-2495)

Notice

U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that the firms "MS SOHAN SINGH YADAV" of Bhopal vide Reg. No. 01/01/01/0080/18 year 2018-2019 Bhopal dated of Registration 13-06-2018 undergone the following changes: -

- 1- That Shri Govind Singh Yadav S/o Shri Sohan Singh Yadav and Mrs. Kakul Yadav W/o Shri Surendra Singh Yadav has desire to retire from the partnership firm and remaining partners from decided to run the business in regular partnership firm with effect from 29-03-2019.
- 2- That Mr. Sohan Singh Yadav S/o Shri Bhagwan Das Yadav and Mr. Surendra Singh Yadav S/o Shri Sohan singh yadav have decided to run the business in regular partnership to shere profit & loss of the same firm & same business from 11-12-2023.

"M/s SOHAN SINGH YADAV"
(SURENDRA SINGH YADAV)
Partner

(G-2496)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सेवा अभिलेख में मेरा नाम कुंतीबाई चौहान (KUNTI BAI CHAUHAN) अंकित है अब मैं, कुंतीदेवी चौहान KUNTI DEVI CHAUHAN के नाम से जानी और पहचानी जाती हूं, मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय इत्यादि में भी कुंतीदेवी चौहान अंकित है. अब मुझे कुंतीदेवी चौहान KUNTI DEVI CHAUHAN पत्नि स्व. श्री सी.एस. चौहान के नाम से जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम
(कुंतीबाई चौहान)
Kunti Bai Chauhan

नया नाम
(कुंतीदेवी चौहान)
Kunti Devi Chauhan
मकान नं. 03, हरिगंगा नगर, होशंगाबाद रोड,
भोपाल (म.प्र.)

(G-2497)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स श्री राम स्टोन क्रेशर (M/S SHRI RAM STONE CRUSHER) कार्यालय 18 मिर्जापुर नौ मोहल्ला घासमंडी ग्वालियर (मध्यप्रदेश) 474003 जो दिनांक 01 अप्रैल 2013 से एक साझेदारी फर्म के रूप में कार्य कर रही है जिसका पंजीयन क्र. 02-42-01-00004-13 वर्ष 2013-14, दिनांक 08 अप्रैल 2013 है जिसका संशोधित विलेख दिनांक 2 सितम्बर 2020 को सम्पादित हुआ जो इस प्रकार है कि श्री कपिल दीक्षित पुत्र श्री रामसिया स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं जिनके स्थान पर श्री बाल कृष्ण भार्गव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव फर्म में सम्मिलित हुए हैं एवं इसके बाद फर्म द्वारा एक अन्य संशोधित विलेख दिनांक 28 नवंबर 2023 को सम्पादित किया गया है जिसमें श्रीमती राधा भार्गव पत्नी श्री बाल कृष्ण भार्गव एवं श्री बाल कृष्ण भार्गव पुत्र स्व. श्री लक्ष्मी नारायण भार्गव स्वेच्छा से त्याग पत्र देकर फर्म से हट रहे हैं यहाँ जानकारी आम जन को सूचित हो.

श्री राम स्टोन क्रेशर
(M/S SHRI RAM STONE CRUSHER)

श्री पंकज भार्गव (पार्टनर)

पता- कार्यालय 18 मिर्जापुर नौ मोहल्ला घासमंडी
ग्वालियर (म. प्र.)

(G-2498)

नाम परिवर्तन

मैं प्रहलाद कुमार सेन पिता स्व. रघुवीर प्रसाद सेना यूनिट 125 साटा रेजिमेंट निवासी-फ्लैट नं. 101, मोहित स्काई लाइन, ग्राम-तिलहारी, पोस्ट आफिस-बिलहरी जबलपुर म.प्र. मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हूँ, यह कि मुझ शपथकर्ता का नाम मेरे सर्विस के दस्तावेजों में त्रुटिवश (Prhlad Kumar Sen) दर्ज हो गया है जो कि गलत है, मेरा सही नाम (Prahlad Kumar Sen) है जो कि मेरे मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एवं बैंक के रिकार्ड में दर्ज है। यह दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। अतः भविष्य में मुझे मेरे सही नाम (Prahlad Kumar Sen) से जाना व पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(प्रहलाद कुमार सेन)

Prhlad Kumar Sen

नया नाम

(प्रहलाद कुमार सेन)

Prahlad Kumar Sen

(G-2499)

नाम परिवर्तन

मैं, राहुल, पिता भृगु नंदन शर्मा, निवासी- जे-304, ओशियन पार्क, दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास, निपानिया, इंदौर, म.प्र. सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे कई शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों जैसे अंकसूची में मेरा नाम "राहुल (Rahul)" अंकित है, जबकि मेरे अन्य दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, पेन कार्ड में मेरा पूरा नाम "राहुल शर्मा (Rahul Sharma)" अंकित है, इसलिए मेरे समस्त दस्तावेजों में अब से मुझे मेरे पूरे नाम "राहुल शर्मा (Rahul Sharma)" लिखा एवं पढ़ा जाये.

पुराना नाम

राहुल (Rahul)

(G-2500)

नया नाम

राहुल शर्मा (Rahul Sharma)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
प्र.क्र./0004/ब-113/2023-24

जावरा, दिनांक 7 दिसम्बर, 2023

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक/5356/रीडर-3/2023.-म.प्र. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत के अंतर्गत आवेदक श्री बालाराम पिता मांगीलाल सोलंकी, रपट रोड, पुलिया के पास जावरा, जिला रतलाम द्वारा के श्री हिगलाज माता मंदिर पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट महु नीमच रोड जावरा पंजीयन हेतु फार्म तीन नियम धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट 1951 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने से लिए आवेदन किया गया है, एतद्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर प्रकरण संस्थित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई दिनांक 7 जनवरी 2024 को न्यायालय उपखण्ड कार्यालय जावरा जिला रतलाम पर दोप. 3.00 बजे की जावेगी.

अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचनापत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार नहीं किया जावेगा :-

अनुसूची

//लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण//

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. न्यास का पूरा नाम व पता | — | श्री हिगलाज माता मंदिर पब्लिक चेरिटेबल एवं पारमार्थिक ट्रस्ट महु नीमच रोड जावरा रपट रोड, पुलिया के पास जावरा जिला रतलाम |
| 2. चल सम्पत्ति का विवरण | — | निरंक |
| 3. अचल सम्पत्ति का विवरण | — | निरंक |

आज दिनांक 7-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(G-2501)

प्र. क्र./0004/बी-113/2023-24

क्रमांक/1304/आर-1/23

रतलाम, दिनांक 29 अगस्त, 2023

फार्म-4

[नियम 5 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा 4 (2) के तहत

आवेदक राजपुरोहित समाज ट्रस्ट रतलाम पता 10, मित्र निवास रोड रतलाम म.प्र. के ट्रस्टी श्री दीपक पुरोहित पिता शम्भूदयाल पुरोहित की ओर से म. प्र. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत " राजपुरोहित समाज ट्रस्ट रतलाम" के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 22-9-2023 को की जावेगी.

2. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 22-9-2023 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी.

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

1.	न्यास का पूरा नाम	—	“राजपुरोहित समाज ट्रस्ट रतलाम” पता-10, मित्र निवास रोड रतलाम (म. प्र.)
2.	अचल सम्पत्ति	—	निरंक
3.	चल सम्पत्ति	—	11,000/- नगद

(G-2502)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट रतलाम शहर, मध्यप्रदेश

क्र./0003/ब-113(1)/2023-24 क्रमांक/1308/आर-1/23

रतलाम, दिनांक 29 अगस्त 2023

[फार्म-4 नियम 5 (1) देखिये]

मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1951 की धारा-4 (2) के तहत

आवेदक मननी सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट पता शॉप नं. 20, शहर सराय चौराहा रतलाम मध्यप्रदेश के ट्रस्टी श्री हेमंत कुमार पिता श्री राजमल भण्डारी निवासी 14-1, सिंधी गली, हटीराम दरवाजा रतलाम की ओर से मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत “मननी सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट” के पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है जिसकी सुनवाई दिनांक 22-9-2023 को की जावेगी.

2. अतः सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संबंध में किसी को वैधानिक आपत्ति हो तो वह प्रकरण में नियत दिनांक 29-9-2023 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में न्यायालयीन समय में उपस्थित होकर अपनी अपिक्ति पेश कर सकते हैं. नियत अवधि पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर विचार न करते हुए प्रकरण में नियमानुसार आगामी कार्यवाही की जावेगी :-

// पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण //

1.	न्यास का पूरा नाम	—	“मननी सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट” पता शॉप नं. 20, शहर सराय चौराहा रतलाम
2.	अचल सम्पत्ति	—	निरंक
3.	चल सम्पत्ति	—	10,000/- नगद

(G-2503)

संजीव केशव पाण्डेय, रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2023— पौष 8, शक 1945

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

(कुछ नहीं)